संख्या:–20 / XVII(1) / 05–15(प्रकोष्ठ) / 2005

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ। देहरादून, दिनांक: 02 फरवरी, 2005

विषय: **जनपद देहरादून के चकराता तहसील में बसे कोल्टा जाति पर आधारित 25 मिनट की डाक्यूमेंट्री फिल्म "कशिश" के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि का आबंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के चकराता तहसील में बसे कोल्टा जाति पर आधारित 25 मिनट की डाक्यूमेंट्री फिल्म "कशिश" का निर्माण कमीशंड श्रेणी में कराये जाने हेतु मै0 परमार्थ पिक्चर्स, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त कुल रूपये 4.65 लाख (रूपये चार लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय उक्त डाक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रथम किस्त के रूप में **रूपये 0.465 लाख (रूपये छियालिस हजार पांच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति देते हुए धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– फिल्म निर्माण कर प्रतियां प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से निर्माता एवं निर्देशक श्री मनोज पांगती, हाथी बड़कला एस्टेट, देहरादून का होगा।

3– फिल्म निर्माण का कार्य तीन माह के भीतर सम्पन्न करना होगा।

4– प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा रही है, 50 प्रतिशत धनराशि फिल्म की स्क्रिप्ट, रूपरेखा, रफ शॉट्स व एडिटिंग के बाद देय होगी, 20 प्रतिशत धनराशि अनन्तिम रूप से तैयार फिल्म (Pre-final) के पश्चात तथा शेष 20 प्रतिशत धनराशि फिल्म के अन्तिम रूप से प्रस्तुत होने पर देय होगी।

5– फिल्म का निर्माण डीजी बीटा फार्मेट में किया जाएगा एवं भुगतान डी.ए.वी.पी. के रेट कार्ड (दिनांक 01–04–2004 से संशोधित) में प्राविधानित दरों एवं शर्तों से प्रतिबन्धित होगा।

6– फिल्म निर्माण की प्रगति से समय–समय पर शासन एवं निदेशक, समाज कल्याण को अवगत कराया जाना होगा तथा फिल्म निर्माण के उपरान्त निर्माता द्वारा दो VHS, दो CDs, एक मास्टर कॉपी, एक टेलीकॉस्ट कॉपी तथा सात वी.सी.डीज. उपलब्ध करायी जानी होंगी।

7– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

क्रमशः 2

8— उक्त धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था मै0 परमार्थ पिक्चर्स, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का भुगतान करते समय **आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार स्रोत पर कटौती सुनिश्चित की जायेगी।**

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—15 के अधीन लेखाशीर्षक "2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण— 01—अनुसूचित जातियों का कल्याण—आयोजनागत— 800—अन्य व्यय— 05—अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता— 00—" के मानक मद— "16—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1386/XXVII(2)/2004, दिनांकः 01 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से ज़ारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव

संख्याः—20(1)/XVII(1)/05—15(समाज कल्याण)/2005/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
6. श्री मनोज पांगती, मै0 परमार्थ पिक्चर्स, आई—1, हाथी बड़कला एस्टेट, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव.